



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-11062026-273344  
CG-MH-E-11062026-273344

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2845]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 8, 2026/ज्येष्ठ 18, 1948

No. 2845]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 8, 2026/JYAISTHA 18, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 5 जून, 2026

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 20F के तहत

का.आ. 2939(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 20'च' की उप) धारा-6 (द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार उक्त अधिनियम के तहत ऐसे प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में उल्लिखित मध्यस्थ को नियुक्त करती है, जो आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी है। सक्षम अधिकारी की यह नियुक्ति उक्त तालिका के स्तंभ (3) में उल्लिखित जिले जो कि महाराष्ट्र राज्य में "भुसावळ मंडल के ईगतपुरी-मनमाड अनुभाग के बीच लेवल क्रॉसिंग गेट्स क्र. 93A, 88, 87, 94, 98, 101 व 81 के बदले आरओबी और आरयूबी का प्रस्तावित निर्माण" के संबंध में ऐसी विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के परियोजना से संबंधित है।

## सारणी

क्रम संख्या	अधिकारी	जिला
(1)	(2)	(3)
1	जिल्हाधिकारी	नासिक

[फा. सं. G197/IGP-MMR/Bsl Div/Arbitrator/20F]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

## MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 5 June, 2026

Under clause 20F of the Railway (Amendment) Act 2008

**S.O. 2939(E).**—In exercise of the powers conferred by **sub-section (6) of Section 20F** of the Railway (Amendment) Act, 2008 (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby appoints the **Arbitrator** mentioned in column (2) of the table below to perform the functions as such authority under the said Act, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the Special Railway Project of “**Proposed Construction of ROB & RUB in lieu of Level Crossing Gates No. 93A, 88, 87, 94, 98,101 & 81 between Igatpuri-Manmad Section of Bhusawal Division**” in the state of Maharashtra relating to district mentioned in column (3) of the said Table for the purpose of execution, maintenance, management and operation of such special railway project.

TABLE

S.No	Officer	District
(1)	(2)	(3)
1.	District Collector	Nashik

[F.No. G197/IGP-MMR/Bsl Div/Arbitrator/20F]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)